न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 16 / 126

1. रामदेवा आत्मज तेजा जाति रेगर निवासी बस स्टेण्ड हिण्डोली ।
2. खेमा आत्मज छोगा जाति रेगर निवासी बस स्टेण्ड हिण्डोली (मृतक) जरिये कायम मुकामान :–
   2/1. बाईच्चा बाई पत्नी खेमा जाति रेगर निवासी बस स्टेण्ड हिण्डोली ।
   2/2. शंकर लाल आत्मज खेमा जाति रेगर निवासी बस स्टेण्ड हिण्डोली ।
   2/3. जगदीश आत्मज खेमा जाति रेगर निवासी बस स्टेण्ड हिण्डोली ।
3. सुवा लाल आत्मज छोगा जाति रेगर निवासी बस स्टेण्ड हिण्डोली ।
4. छीतर आत्मज मांगीलाल जाति रेगर निवासी बस स्टेण्ड हिण्डोली ।
5. मोहन आत्मज मांगीलाल जाति रेगर निवासी बस स्टेण्ड हिण्डोली ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. रामदेवा आत्मज भवाना जाति रेगर निवासी बस स्टेण्ड हिण्डोली ।
2. लालू आत्मज भवाना जाति रेगर निवासी बस स्टेण्ड हिण्डोली (मृतक) जरिये कायम मुकामान :–
   2/1. रामकंवरी बेवा लालू जाति रेगर निवासी रेगर मोहल्ला बस स्टेण्ड हिण्डोली ।
   2/2. रतन आत्मज लालू जाति रेगर निवासी रेगर मोहल्ला बस स्टेण्ड हिण्डोली ।
   2/3. राजू आत्मज लालू जाति रेगर निवासी रेगर मोहल्ला बस स्टेण्ड हिण्डोली ।
3. पेमा आत्मज भवाना जाति रेगर निवासी बस स्टेण्ड हिण्डोली ।
4. दुर्गालाल आत्मज मांगी लाल रेगर निवासी बस स्टेण्ड हिण्डोली (मृतक) जरिये कायम मुकामान :–
   4/1. दाखा बेवा दुर्गा लाल जाति रेगर निवासी बस स्टेण्ड हिण्डोली ।
   4/2. बसन्ती लाल आत्मज दुर्गालाल निवीास बस स्टेण्ड हिण्डोली ।
5. रामलाल आत्मज मांगीलाल जाति रेगर निवासी बस स्टेण्ड हिण्डोली ।
6. प्रहलाद आत्मज मांगीलाल जाति रेगर निवासी बस स्टेण्ड हिण्डोली ।
7. राजस्थान राज्य सरकार राज्य जरिये तहसीलदार महोदय हिण्डोली जिला बून्दी ।

——रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री प्रेमशंकर गुर्जर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री जितेन्द्र कोठारी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

दिनांकः 17.09.2019

निर्णय

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 15.07.2015 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट कम 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया किया कि ग्राम हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में कुल 14 किता की 17 बीघा 08 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि को वादी कम 1व 2 एवं उसके भाईयों के द्वारा दिनांक 15.12.1993 को प्रतिवादीगण कम 1 से 6 एवं कंवरया वल्द सांवला तथा धन्ना आत्मज श्रीराम से जरिये बेचाननामा कय किया था उसी समय प्रतिवादीगण ने वादीगण को कब्जा संभलाया था तब से ही वादी अपने 1/2 हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं । प्रतिवादीगण का उक्त आराजी पर दिनांक 15.12.93 के बाद कभी कब्जा नहीं रहा है । प्रतिवादीगण कम 1 से 6 के मन में बदयान्ति आ गई है तथा वह उक्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार होने का नाजायज फायदा उठाकर उक्त आराजी को अन्य किसी व्यक्ति को बेचान करने पर आमादा हैं तथा उक्त आराजी से वादीगण को बेदखल करने पर आमादा हैं । वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वे प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावें ।

3. अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी में वादीगण को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादीगण के हिस्से की आराजी 1/2 पर उनके शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में किसी प्रकार का दखल न देवे तथा उसे किसी अन्य व्यक्ति को रहन, बेचान नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 15.07.2015 के द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 15.07.2015 से व्यथित होकर अपीलान्ट वादी ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली बहस हेतु नियत ही नहीं थी । पत्रावली में तनकीयात कायम होने पर उभय पक्ष की साक्ष्य ली जानी थी । अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी पर सन् 1993 से ही काबिज काश्त चले आ रहे हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत की भावना के विपरीत निर्णय पारित करते हुए वादीगण का वाद खारिज किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 15.07.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी ग्राम हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थिति है । वादग्रस्त आराजी 1/2 हिस्से के लिए वादी अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्टगण के खिलाफ एक दावा हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया है जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने खारिज किया है । पत्रावली बहस हेतु नियत नहीं थी वरन् कायमी तनकीयात होने पर साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया और निर्णय पारित किया गया है । सीपीसी की

पालना नहीं की गई है । वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट वादीगण के कब्जे में है । 22 वर्षों से इस आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.07.2015 निरस्त किया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्टगण उपस्थित हुए हैं । लोक अदालत की भावना से निर्णय पारित करते हुए दावा वादीगण खारिज किया गया है । दावा वादी चलने योग्य नहीं है उन्हें आराजी का विक्रय नहीं किया गया है । अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक15.07.2015 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । पत्रावली तलबी तलबाना प्रतिवादी कम 5 में नियत थी इसके बाद अखबार में प्रकाशन हेतु तारीख दे दी गई और इसे लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में वादीगण एवं धन्ना पुत्र कंवरा, कजोडी पत्नी कंवरा, प्रहलाद पुत्र महावीर पुत्र धन्ना लालू की पत्नी के अंगूठा निशानी एवं रामप्रसाद के हस्ताक्षर हैं । इनमें से रामप्रसाद धन्नी पुत्री कंवरा कजोडी पत्नी कंवरा, महावीर पुत्र धन्ना और लालू की पत्नी प्रकरण में पक्षकार नहीं हैं । इस प्रकरण में जो पक्षकार हैं इनमें से लालू, पैमा, दुर्गालाल, रामलाल उपस्थित नहीं हैं । इस प्रकार न तो समस्त पक्षकार उपस्थित हुए हैं और न ही पक्षकारान के द्वारा कोई राजीनामा पेश किया गया है और उसी दिन गुणावगुण के आधार पर दावा खारिज किया गया है । पत्रावली पर मृतक के कायममुकामान को रिकॉर्ड पर नहीं लिया गया है और न ही पत्रावली में मृतक के कायममुकामान को रिकॉर्ड पर लिये जाने का कोई प्रार्थना पत्र संलग्न है ।

10. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत रूप से गुणावगुण के आधार निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.07.2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट विवेचन करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 06.11.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

12. निर्णय आज दिनांक 17.09.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

17-9-19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा